

जैव विविधता (संशोधन) वधियक, 2021

प्रलिस के लयः

जैवक ववधलता (संशोधन) वधलयक, आयुर्वेद योग प्राकृतक ककलतलसा युनानी सदध और होम्योपैथी (आयुष) ।

मेन्स के लयः

जैव ववधलता वधलयक 2021 का महत्त्व और संबंधतल कतलएँ ।

चरचा में क्योँ?

हाल ही में [जैव ववधलता \(संशोधन\) वधलयक, 2021](#) की जाँच करने वाली [संयुक्त संसदीय समतल \(JPC\)](#) ने वधलयक पर अपने सुझाव प्रस्तुत कये हैं । ।

- JPC ने पर्यावरण और जलवायु परवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा कये कये कई **संशोधनों को स्वीकार** कर लया है ।

जैव ववधलता अधनलयम, 2002

परचलयः

- जैवक ववधलता अधनलयम, 2002 (BDA) को जैवक ववधलता के संरक्षण, इसके घटक के सतत् उपयोग, जैवक संसाधनों और पारंपरक ज्ञान से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण के लये अधनलयमतल कया गया था ।

वशेषताएँ:

- यह अधनलयम कसल भी वयक्तल या संगठन को **राष्ट्रीय जैव ववधलता प्राधकरण** से पूर्वानुमोदन के बना, उसके अनुसंधान या वाणज्यक उपयोग के लये भारत में होने वाले कसल भी जैवक संसाधन को प्राप्त करने से रोकता है ।
- इस अधनलयम में जैवक संसाधनों तक पहुँच को वनलयमतल करने के लये एक त्र-स्तरीय संरचना की परकल्पना की गई थीः
 - **राष्ट्रीय जैव ववधलता प्राधकरण (NBA)**
 - **राज्य जैव ववधलता बोर्ड (SBBs)**
 - **जैव ववधलता प्रबंधन समतलयाँ (BMCs)** (स्थानीय स्तर पर)
- अधनलयम के तहत सभी अपराधों को **संज्ञेय और गैर-जमानती** के रूप में नरधारतल कया गया है ।

जैव ववधलता वधलयक 2021 में कये गये संशोधन

- **भारतीय ककलतलसा प्रणाली को बढ़ावा देना:** यह "भारतीय ककलतलसा प्रणाली" को बढ़ावा देना चाहता है, और भारत में उपलब्ध जैवक संसाधनों का उपयोग करते हुए अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रया, अनुसंधान परणामों के हस्तांतरण के तेज ट्रैकगल की सुवधा प्रदान करता है ।
 - यह स्थानीय समुदायों को वशेष रूप से औषधीय मूल्य जैसे कल बीज के संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होने के लये सशक्त बनाना चाहता है ।
 - यह वधलयक कसलनों को औषधीय पौधों की खेती बढ़ाने के लये प्रोत्साहतल करता है ।
 - **जैवववधलता पर संयुक्त राष्ट्र अभसलयम** के उद्देश्यों से समझौता कये बना इन उद्देश्यों को प्राप्त कया जाना है ।
- **कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करना:** यह जैवक संसाधनों की शृंखला में कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने का प्रयास करता है ।
 - इन परवर्तनों को वर्ष 2012 में भारत के [नागोया प्रोटोकॉल](#) (सामान्य संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित तथा न्यायसंगत साझाकरण) के अनुसमर्थन के अनुरूप लाया गया था ।
- **वदशी नवश की अनुमतल:** यह जैव ववधलता के अनुसंधान में वदशी नवश की भी अनुमतल देता है हालाँकल यह नवश आवश्यक रूप से जैवववधलता अनुसंधान में शामिल भारतीय कंपनयों के माध्यम से करना होगा
 - वदशी संस्थाओं के लये **राष्ट्रीय जैवववधलता प्राधकरण से अनुमोदन आवश्यक है ।**
- **आयुष ककलतलसकों को छूट:** वधलयक पंजीकृत **आयुष ककलतलसकों और संहतलबद्ध पारंपरक ज्ञान** का उपयोग करने वाले लोगों को कुछ उद्देश्यों के लये जैवक संसाधनों तक पहुँचने हेतु राज्य, जैवववधलता बोर्डों को पूर्व सूचना देने से छूट देने का प्रयास करता है ।

प्रस्तावति संशोधनों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- **संरक्षण की तुलना में व्यापार को प्राथमिकता:** यह जैविक संसाधन संरक्षण अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य की कीमत पर [बौद्धिक संपदा](#) और वाणज्यिक व्यापार को प्राथमिकता देता है।
- **बायो-पायरेसी का खतरा:** आयुष प्रैक्टिशनर्स (AYUSH Practitioners) को छूट के लिये अब मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है, इससे 'बायो पायरेसी' (Biopiracy) का मार्ग प्रशस्त होगा।
 - **बायोपायरेसी** के व्यापार में स्वाभाविक रूप से होने वाली आनुवंशिक या जैव रासायनिक सामग्री का दोहन करने की प्रथा है।
- **जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का हाशिये पर होना:** प्रस्तावति संशोधन राज्य जैवविविधता बोर्डों को लाभ साझा करने की शर्तों को नरिधारति करने हेतु BMCs का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देते हैं।
 - जैवविविधता अधिनियम 2002 के तहत, राष्ट्रीय और राज्य जैवविविधता बोर्डों को जैविक संसाधनों के उपयोग से संबंधित कोई भी नरिणय लेते समय जैवविविधता प्रबंधन समितियों (प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा गठित) से परामर्श करना आवश्यक है।
- **स्थानीय समुदाय को दरकिनार करना:** वधियक खेती वाले औषधीय पौधों को अधिनियम के दायरे से भी छूट देता है। हालाँकि यह पता लगाना व्यावहारिक रूप से असंभव है कि कनि पौधों की खेती की जानी चाहिये और कौन-से पौधे जंगली हैं।
 - यह प्रावधान बड़ी कंपनियों को अधिनियम के दायरे और बेनफिटि-शेयरिंग प्रावधानों के तहत पूरव अनुमोदन की आवश्यकता से बचने या स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने की अनुमति दे सकता है।

समति की सफिराशिन:

- **जैविक संसाधनों का संरक्षण:**
 - जेपीसी ने सफिराशि की है कि, प्रस्तावति कानून के तहत जैव विविधता प्रबंधन समितियों तथा स्थानीय समुदायों को जैविक संसाधनों के संरक्षण के रूप में स्पष्टतः परभाषति करके सशक्त बनाया जाना चाहिये।
- **देशी चकितिसा को बढ़ावा देना:**
 - **औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देकर जंगली औषधीय पौधों पर दबाव कम करें।**
 - संहतिबद्ध पारंपरिक ज्ञान को स्पष्ट रूप से परभाषति करके भारतीय चकितिसा पद्धति को प्रोत्साहति कया जाना चाहिये।
 - अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन के उद्देश्यों से समझौता कयि बना भारत में उपलब्ध जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए अनुसंधान के फास्ट-ट्रैकिंग, पेटेंट आवेदन प्रक्रया, अनुसंधान परणामों के हस्तांतरण की सुवधि के माध्यम से स्वदेशी अनुसंधान और भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना।
- **सतत् उपयोग को बढ़ावा देना:**
 - राज्य सरकार के परामर्श से जैविक संसाधनों के संरक्षण, संवर्द्धन और सतत् उपयोग के लिये राष्ट्रीय रणनीति विकसति करना।
- **नागरिक अपराध:**
 - एक नागरिक अपराध होने की वजह से, समति ने आगे सफिराशि की है कि **जैव विविधता अधिनियम, 2002** के उल्लंघन में कसि भी अपराध में समानुपातिक दंड के साथ नागरिक दंड को भी शामिल कया जाना चाहिये ताकि **उल्लंघनकरता कसि भी प्रकार से दण्ड प्रावधानों से न बच पाए।**
- **प्रत्यक्ष वदेशी निविश (FDI) का अंतरवाह:**
 - इसके अलावा भारत में **कंपनी अधिनियम** के अनुसार वदेशी कंपनियों एवं जैविक संसाधनों के उपयोग के लिये एक प्रोटोकॉल को परभाषति कर, राष्ट्रीय हतियों से समझौता कयि बगैर अनुसंधान, पेटेंट और वाणज्यिक उपयोग सहति जैविक संसाधनों की शृंखला में अधिक **वदेशी निविश** को आकर्षति करने की आवश्यकता है।
- **आयुष चकितिसकों को छूट:**
 - **समति** ने स्पष्ट कया कि आयुष चकितिसक जो आजीविका के पेशे के रूप में भारतीय चकितिसा पद्धति सहति स्वदेशी चकितिसा का अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें **जैविक संसाधनों तक पहुँचने के लिये राज्य जैव विविधता बोर्डों को पूरव सूचना से छूट** प्रदान की गई है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न: भारत सरकार औषधि के पारंपरिक ज्ञान को दवा कंपनियों द्वारा पेटेंट कराने से कैसे बचा रही है? (मुख्य परीक्षा, 2019)

[स्रोत: द हदि](#)